



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08022025-260832
CG-DL-E-08022025-260832

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 643]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 7, 2025/माघ 18, 1946

No. 643]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 7, 2025/MAGHA 18, 1946

सङ्कक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2025

का.आ. 647(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि हाइब्रिड एन्युटी मोड पर उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में NH-922 पर बक्सर और भरौली (किमी 1.300 से किमी 3.300 तक) के बीच कनेक्शन के लिए गंगा नदी पर अतिरिक्त 3-लेन पुल का निर्माण तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अपर जिलाधिकारी एफ/आरको लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक

पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अनुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

हाइब्रिड एन्युटी मोड पर उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में NH-922 पर बक्सर और भरौली (किमी 1.300 से किमी 3.300 तक) के बीच कनेक्शन के लिए गंगा नदी पर अतिरिक्त 3-लेन पुल का निर्माणके लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश			जिले का नाम: बलिया		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6

तालुक का नाम: बलिया सदर

गांव का नाम: भरौली गंगबरार

1	72	निजी	कृषि	0.037262 (हेक्टेयर)	0.037262
2	73	निजी	कृषि	0.084832 (हेक्टेयर)	0.084832
3	74	निजी	कृषि	0.071125 (हेक्टेयर)	0.071125
4	75	निजी	कृषि	0.178634 (हेक्टेयर)	0.178634
5	76	निजी	कृषि	0.227785 (हेक्टेयर)	0.227785

गांव का नाम: भरौली खास

6	123	निजी	कृषि	0.027922 (हेक्टेयर)	0.027922
7	128	सरकारी	सड़क	0.015896 (हेक्टेयर)	0.015896
8	129	निजी	कृषि	0.006623 (हेक्टेयर)	0.006623
9	133	निजी	कृषि	0.004805 (हेक्टेयर)	0.004805
10	135	निजी	कृषि	0.019817 (हेक्टेयर)	0.019817

11	136	निजी	कृषि	0.005709 (हेक्टेयर)	0.005709
12	137	निजी	कृषि	0.004444 (हेक्टेयर)	0.004444
13	138	निजी	कृषि	0.004445 (हेक्टेयर)	0.004445
14	356	निजी	कृषि	0.040258 (हेक्टेयर)	0.040258
15	483	निजी	कृषि	0.001043 (हेक्टेयर)	0.001043
16	484	निजी	कृषि	0.023214 (हेक्टेयर)	0.023214
17	486	निजी	कृषि	0.060484 (हेक्टेयर)	0.060484
18	487	निजी	कृषि	0.065583 (हेक्टेयर)	0.065583
19	491	निजी	कृषि	0.071918 (हेक्टेयर)	0.071918
Total					0.951799

[फा. सं. NHAI/PIU/Patna/Bux-Bhar/LA/2024/Vol-I/3A]

अभय जैन, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 7th February, 2025

S.O. 647(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.,), maintenance, management and operation for **Construction of additional 3-Lane Bridge over River Ganga for connection between Buxar and Bharauli (from km 1.300 to Km 3.300) on NH-922 in the State of Uttar Pradesh and Bihar on Hybrid Annuity Mode**, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Additional District Magistrate F/R in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling for Construction of additional 3-Lane Bridge over River Ganga for connection between Buxar and Bharauli (from km 1.300 to Km 3.300) on NH-922 in the State of Uttar Pradesh and Bihar on **Hybrid Annuity Mode**.

State: UTTAR PRADESH			District: BALLIA		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Ballia sadar					
Village: Bharauli Gangbarar					
1	72	Private	Agriculture	0.037262 (Hectare)	0.037262
2	73	Private	Agriculture	0.084832 (Hectare)	0.084832
3	74	Private	Agriculture	0.071125 (Hectare)	0.071125
4	75	Private	Agriculture	0.178634 (Hectare)	0.178634
5	76	Private	Agriculture	0.227785 (Hectare)	0.227785
Village: Bharauli Khass					
6	123	Private	Agriculture	0.027922 (Hectare)	0.027922
7	128	Government	Road	0.015896 (Hectare)	0.015896
8	129	Private	Agriculture	0.006623 (Hectare)	0.006623
9	133	Private	Agriculture	0.004805 (Hectare)	0.004805
10	135	Private	Agriculture	0.019817 (Hectare)	0.019817
11	136	Private	Agriculture	0.005709 (Hectare)	0.005709
12	137	Private	Agriculture	0.004444 (Hectare)	0.004444
13	138	Private	Agriculture	0.004445 (Hectare)	0.004445
14	356	Private	Agriculture	0.040258 (Hectare)	0.040258
15	483	Private	Agriculture	0.001043 (Hectare)	0.001043
16	484	Private	Agriculture	0.023214 (Hectare)	0.023214
17	486	Private	Agriculture	0.060484 (Hectare)	0.060484
18	487	Private	Agriculture	0.065583 (Hectare)	0.065583
19	491	Private	Agriculture	0.071918 (Hectare)	0.071918
Total					0.951799

[F. No. NHAI/PIU/Patna/Bux-Bhar/LA/2024/Vol-I/3A]

ABHAY JAIN, Director